



समाज कल्याण विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई



प्रभारी अधिकारी - श्री अजय कुमार शुक्ला,



समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभाग -

1. गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग - सामाजिक सुरक्षा पेंशन
2. महिला एवं बाल विकास विभाग - राष्ट्रीय परिवार सहायता
3. असंगठित कर्मकार विभाग - मजदूर कार्ड



गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग की जानकारी:-



सामाजिक सुरक्षा पेंशन 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा को 350/- रू. प्रतिमाह, 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध को 650/- रू. प्रतिमाह एवं 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन को 500/- रू. प्रतिमाह ऑनलाईन डी.बी.टी. के माध्यम से बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।





समाज कल्याण विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई



राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनांतर्गत गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग में बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले हितग्राही जिनका नाम वर्ष 2007-08 के सर्वे सूची में दर्ज है उन्हें शासन के नियमानुसार ऑनलाईन बैंक के माध्यम से पेंशन प्रदाय किया जा रहा है, जिनकी योजनावार अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है-



क्रं.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	4169
2	सुखद सहारा पेंशन	3697
3	इं. गा. रा. वृद्धावस्था पेंशन (80 वर्ष से कम)	7933
	(80 वर्ष से अधिक)	632
4	इं. गां. रा. विधवा पेंशन	2351
5	इं. गां. रा. निःशक्त पेंशन	122
6	मुख्यमंत्री पेंशन	150
	कुल हितग्राहियों की संख्या	19054





➤ महिला एवं बाल विकास विभाग - राष्ट्रीय परिवार सहायता



➤ जिस घर में घर का कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर उन्हें राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत मृतक पर आश्रित परिवार को 20,000/- रूपये की राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।

➤ पात्रता -

➤ 1. शासन के आदेशानुसार वर्ष 2007-08 के बी.पी.एल. सर्वे सूची में जिन हितग्राहियों के परिवार का नाम दर्ज होगा केवल वही हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र होते हैं।

➤ 2. आवेदन की प्रक्रिया लोक सेवा गांरटी के माध्यम से ऑनलाईन करने के पश्चात् जोन कार्यालय में जमा किया जाता है। उन्हें शासन के नियमानुसार ऑनलाईन डी.बी.टी. के माध्यम से बैंक खाते में राशि प्रदाय की जाती है।



अंसठित कर्मकार विभाग - मजदूर कार्ड




वर्तमान में अंसठित कर्मकार आवेदन एवं पंजीयन च्वाइस सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम विभाग दुर्ग द्वारा दस्तावेज जाँच कर पंजीयन का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। सभी योजनाओं का संचालन श्रम विभाग दुर्ग द्वारा किया जाता है।



नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में वर्तमान में पंजीकृत/निर्माणी कर्मकार की संख्यावार जानकारी निम्नानुसार है-

असंगठित कर्मकार	- 62817
महिला	- 42031
पुरूष	- 20769
तृतीय लिंग	- 17

निर्माणी कर्मकार	- 6151
महिला	- 4543
पुरूष	- 1607
तृतीय लिंग	- 01



समाज कल्याण विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई

धन्यवाद